



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त काले खां पुत्र नत्थू खां नि० ग्राम तूमरा थाना कोंच जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोंच में मु०अ०सं० 291/1996 (वाद संख्या – 51बी/1997) धारा 460 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 11.09.2023 को मा० न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम उर्ई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त काले खां उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल मोती लाल



कोर्ट पैरोकार आरक्षी हृदेश कुमार

X @jalaunpolice

Instagram jalaunpolice

f Jalaun Police